मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 25।25/78-जी0 एस0-I-दिनांक 28-9-78 की प्रति ।

विषय :—प्राईवेट कार्य के लिए सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग ।

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर मैं संयुक्त पंजाब के पत्र संख्या 4540-जी-II-57/12538, दिनांक 15 जुलाई, 1971 (प्रति संलग्न) है द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर आप का ध्यान दिलाऊं,जिसमें अधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारयों से प्राईवेट कार्य लेने के बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट किया गया था । हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 287—1 जी0 एस0—I—72/3104,दिनांक 8-2-1972 (प्रति संलग्न है) द्वारा पुनः अनुरोध किया गया था कि इन हिदायतों का कठोरता से पालन किया जाए ।

2. सरकार के ध्यान में पुनः यह बात आई है कि उपरोक्त हिदायतों की पालना सभी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा नहीं की जा रही है । सरकार ऐसी कार्यवाही को गम्भीरता पूर्वक देखती है तथा चाहती है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी श्रेणी चार के सरकारी कर्मचारी को प्राईवेट काम के लिए प्रयोग में न लाया जाए । इस लिए आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का कठोरता से पालन किया जाये और आप अपने अधीनस्थ सभी सरकारी कर्मचारियों के ध्यान में यह अनुदेश लायें और उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इस विषय में चूक होने पर वे कठोर अनुशासनिक कार्यवाही के भागी होंगे ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए ।

भवदीय,

हस्ता/—

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक-एक प्रति अनुलग्नकों सहित, निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है :—

(1) वित्तायुक्त/सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।